तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

महेन्द्र बनाम उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

जीसीएमएस नम्बर 2021/111

14.07.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित, रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता उपस्थित एवं तहत रिकार्ड प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया।

तत्पश्चात् अधिवक्ता उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है उसे उचित नही ठहराया जा सकता ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 को अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में दो माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।